फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

सरकार जरिये एस.एच.ओ. बगरू बनाम सांवर

केस संख्या 66/2023 ( गोवंशीय पशु अधिनियम 1995 )

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा का विस्तृत रूप | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 22-03-2023 | पत्रावली पेश हुई। विभागीय पैरोकार उपस्थित है। अप्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित है।<br>थानाधिकारी पुलिस थाना बगरू की एफआईआर संख्या 62/2023 व सिलसिले राजस्थान गो वशीय ( वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन ) अधिनियम 1995 की धारा 6 (1) के अनुसार दिनांक 01.02.2023 को सूचना मिलने पर करीब 12.50 ए एम के छीतरोली आयल डिपो के पास एक पिकअक संख्या आर जे 14 जीजी 0191 को भीड के द्वारा रोक रखा था। मौके पर खडी पिकपअ को चैक करने पर कुल सात गो वंश ठूस ठूस कर रस्सियों से बंधे हुये मिला। मौके पर पकडे गये शक्शं ने अपना नाम सांवर पुत्र कजोड बागरिया निवासी रवान (कोदर) पुलिस थाना बगरू बताया । गोवंश को परिवहन करने बाबत वैद्य दस्तावेज मांगने पर नहीं होना बताया। गोवंश को हरियाणा लेकर जाना बताया। राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 धारा 6 (क) मे अभिग्रहित वाहन एवं धारा 7 में अभिग्रहित गोवंशीय पशु की अभिरक्षा और निपटारा किये जाने की अधिकारिता इस न्यायालय को है। गोवंश को थानाधिकारी पुलिस थाना बगरू द्वारा पूर्व में ही प्रवन्धक गौशाला बगरू की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा पिकअप में गो वंश को बिना किसी चिकित्सक रिपोर्ट व बिना सक्षम अधिकारी की अनुज्ञप्ति के क्षमता से अधिक कूरता के साथ भर कर ले जाते पाया गया है। अतः अधिनियम की धारा 6 (क) के तहत वाहन एवं धारा 7 के तहत गोवंश को जब्त सरकार किये जाने के आदेश फरमावें।<br>अप्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने दलील प्रस्तुत की कि उक्त गाय व बछड़े कृषि कार्य हेतु हरियाणा ले जा रहा था, तभी कुछ लोगों के कहने पर पुलिस ने पकड़ लिया। प्रकरण में जब्त वाहन का अप्रार्थी एक मात्र स्वामी है। जब्त पिकअप अप्रार्थी के परिवार की आय की मुख्य स्त्रोत है। पिकअप खुले में खडी है जिससे खराब होने का अंदेशा है। अतः जब्त पिकअप को जमानत सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश फरमावे।<br>उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया।<br>जिला कलक्टर<br>जयपुर | |

फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

सरकार जरिये एस.एच.ओ. बगरू बनाम सांवर

केस संख्या 66 /2023 ( गोवंशीय पशु अधिनियम 1995 )

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा का विस्तृत रूप |
|---|---|
| 22-03-2023 | अप्रार्थीगण द्वारा बिना चिकित्सक रिपोर्ट व बिना सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के पिकअप में ठूंस ठूंस कर कुल 7 गो वंश को ले जाते पाया गया है। वाहन की इस कृत्य में संलिप्तता नहीं है, यह साबित करने में अप्रार्थी नाकामयाब रहा। गाड़ी मालिक अबेटर श्रेणी में आता है। अधिनियम की धारा 6 (2) के परन्तुक में साधन के स्वामी को अधिहरण के बदले प्रवहण के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनाधिक के जुर्माने का संदाय करने का विकल्प दिया जाने का प्रावधान है। अतः 5,000/—अक्षरे पांच हजार रूपये जुर्माना राशि " पशु कुरता निवारण समिति जयपुर " बैंक ऑफ बडौदा शाखा एम. आई. रोड जयपुर के खाता संख्या 014210008024 में जमा कराता है, तो यदि किसी अन्य प्रकरण में उक्त पिकअप वांछित नही हो तो पिकअप को छोड़ दिया जाये और यदि जुर्माना एक माह में जमा नहीं कराता है, तो पिकअप को जब्त कर लिया जावे। साथ ही वाहन मालिक शपथ पत्र इस आशय का पेश करें कि कार्यवाही मुकदमा के दौरान वह उक्त वाहन को खुर्द—बुर्द नहीं करेगा और ना ही रंग रोगन करेगा। जब भी न्यायालय वाहन को तलब करेगा, वाहन को प्रस्तुत कर दिया जावेगा। जब्त गौ वंश को पूर्व में ही पुलिस थाना बगरू द्वारा प्रबन्धक गौशाला बगरू की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। पत्रावली दिनांक 24.03.2023 को पेश हो।<br>(हस्ताक्षर)<br>जिला कलक्टर<br>जयपुर |
| 24.03.2023 | पत्रावली पेश हुई। विभागीय पैरोकार व अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। अप्रार्थी ने हस्ब आदेश दिनांक 22.03.2023 की पालना में शपथ पत्र व जुर्माना राशि 5000/— अक्षरे पांच हजार रूपये मात्र राजकोष में जमा करा कर रसीद प्रस्तुत कर दी है। अतः मोचन आदेश जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।<br>(हस्ताक्षर)<br>जिला कलक्टर<br>जयपुर |